

पटना में दिनांक-18 मई, 2020 सोमवार को अपराह्न 05:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

नगर विकास एवं आवास विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 1. | बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) के अन्तर्गत पटना नगर निगम क्षेत्र में ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशनों के संचालन एवं संधारण के लिए रूपये 174282360/- (सतरह करोड़ बयालीस लाख बेरासी हजार तीन सौ साठ रूपये) के अनुमानित लागत व्यय पर कुल-504 विभिन्न कोटि के तकनीकी पदों का सृजन। | 1. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 3. | बेगूसराय जिलान्तर्गत मटिहानी, बरौनी एवं बेगूसराय प्रखण्डों के अत्यधिक आर्सेनिक से प्रभावित 111 ग्रामों/टोलों (309 वार्ड) के लिए सतही जल के उपयोग से बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना (31.80 MLD) के निर्माण हेतु 19178.00 लाख रूपये की राशि पर पूर्व में स्वीकृत योजना का पुनरीक्षण कर 25390.79 लाख (दो सौ तिरेपन करोड़ नब्बे लाख उन्नासी हजार रू० मात्र) रूपये की राशि पर पुनरीक्षित योजना की स्वीकृति। | 3. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 4. | भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगॉव एवं पीरपैती प्रखण्डों के अत्यधिक आर्सेनिक से प्रभावित 141 ग्रामों/टोलों के लिए सतही जल के उपयोग से बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना (30.50 MLD) के निर्माण हेतु 21967.42 लाख रूपये की राशि पर पूर्व में स्वीकृत योजना का पुनरीक्षण कर 26777.70 लाख (दो सौ सड़सठ करोड़ सतहत्तर लाख सत्तर हजार रू० मात्र) रूपये की राशि पर पुनरीक्षित योजना की स्वीकृति। | 4. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

(निबंधन)

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 5. | दरभंगा जिलान्तर्गत जिला अवर निबंधन कार्यालय, दरभंगा के क्षेत्राधिकार से बहेड़ी, मनीगाछी एवं तारडीह अंचल को हटाकर अवर निबंधन कार्यालय, बहेड़ा के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किये जाने तथा जिला अवर निबंधन कार्यालय, दरभंगा एवं अवर निबंधन कार्यालय, बहेड़ा का क्षेत्राधिकार पुनर्निर्धारण के संबंध में। | 5. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

वाणिज्य-कर विभाग

7. पेट्रोल और डीजल पर लागू वैट की दरों में संशोधन के संबंध में। 7. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

8. डा० दिनेश मंडल, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टेढ़ागाछ, किशनगंज को दिनांक 02.04.2012 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 7. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

9. "बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी-शिकायत निवारण नियमावली, 2013" अन्तर्गत बिहार राज्य के सभी जिले में गठित जिला अपीलीय प्राधिकार में नियुक्त कुल 59 (उनसठ) पीठासीन पदाधिकारियों को दिनांक-31.07.2020 अथवा नई नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए कार्यरत रखे जाने की स्वीकृति के संबंध में। 7. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

(मत्स्य)

10. "बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा भर्ती नियमावली, 2007" में संशोधन हेतु "बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा भर्ती संशोधन नियमावली, 2020" के प्रारूप के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव। 8. स्वीकृत।